



ग्लैडिस बैराजीक्लियन

न्यू साउथ वेल्ज़ की प्रीमियर

जॉन बैरिलारो

डेप्युटी प्रीमियर

ब्रैड हैज़ार्ड

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अनुसंधान मंत्री

बयान

शनिवार, 26 जून 2021

ग्लैडिस बैराजीक्लियन, जॉन बैरिलारो और ब्रैड हैज़ार्ड की ओर से बयान न्यू साउथ वेल्ज़ में कोविड-19 की पाबंदियाँ बढ़ा दी गई हैं

निरंतर बदल रही कोविड-19 महामारी की स्थिति से न्यू साउथ वेल्ज़ की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आज (26 जून) शाम 6 बजे से रात 11.59 बजे, 9 जुलाई तक, वर्तमान में लगाए गए 'घर में ही रहें' आदेशों को बढ़ा कर ब्लू माउंटेनज़, सेंट्रल कोस्ट और वॉलॉंगोंग समेत संपूर्ण 'ग्रेटर सिडनी' में लागू कर दिया जाएगा।

समाज पर बढ़ते हुए संकट के बारे में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कॅरी चैंट (Dr Kerry Chant) की तरफ से आई नवीनतम स्वास्थ्य सलाह के बाद, 'घर में ही रहें' के आदेश ब्लू माउंटेनज़, सेंट्रल कोस्ट और वॉलॉंगोंग समेत संपूर्ण 'ग्रेटर सिडनी' के लोगों के ऊपर लागू हो जाएँगे।

'ग्रेटर सिडनी' में हर किसी को घर में ही रहना अनिवार्य होगा जब तक कि घर से बाहर जाने का कोई अति-आवश्यक

कारण न हो। वे कारण जिनके लिए आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, उनमें शामिल हैं:

- भोजन सामग्री अथवा अन्य अति-आवश्यक चीज़ों और सेवाओं की खरीददारी के लिए
- चिकित्सीय देखभाल अथवा सहानुभूतिशील आवश्यकताओं के लिए (लोग कोविड-19 का टीकाकरण करवाने के लिए अपने घर से बाहर जा सकते हैं यदि आप की पहचान एक नज़दीकी संपर्क (क्लोज़ कान्टैक्ट) के रूप में न की गई हो);
- 10 या इससे कम लोगों के समूह में बाहर व्यायाम करने के लिए;
- अति-आवश्यक काम-काज अथवा पढ़ाई के लिए, यदि आप अपना काम या पढ़ाई घर से नहीं कर सकते हों।

इस अवधि के दौरान समुदायिक खेल-कूद की इजाज़त नहीं होगी। 27 जून, रात 11.59 बजे से शादियाँ करने की इजाज़त नहीं होगी। दाह-संस्कारों में एक व्यक्ति प्रति चार वर्ग मीटर की सीमा होगी जिनमें अधिकतम 100 लोग एकत्र हो सकेंगे, और सभी अंदरूनी स्थानों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

न्यू साउथ वेल्ज़ के शेष सभी स्थानों में, आगे बताए गए प्रतिबंधित लागू होंगे:

- वे लोग जो 21 जून को या उसके बाद (ब्लू माउंटेनज़, सेंट्रल कोस्ट और वॉलॉंगोंग समेत) 'ग्रेटर सिडनी' क्षेत्रों में आए थे, उन्हें 'ग्रेटर सिडनी' छोड़ने वाले दिन से ले कर 14 दिन बाद तक 'घर में ही रहें' आदेशों को मानना होगा।
- घरों में आने वाले मेहमानों की गिनती 5 मेहमानों - बच्चों समेत, तक सीमित हो जाएगी;
- सभी अंदरूनी, गैर रिहाइशी परिस्थितियों में मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा, इनमें काम-काज के स्थल और बाहर खुले में आयोजित कार्यक्रम भी शामिल हैं;
- अंदरूनी स्थलों में खड़े हो कर पीने की अनुमति नहीं होगी;
- श्रोतागणों द्वारा, अंदरूनी स्थलों में भजन गायन-मंडली (choir) द्वारा, अथवा पूजा पाठ के अंदरूनी स्थलों में एकत्रित लोगों द्वारा गायन की अनुमति नहीं होगी;

- आतिथ्य उद्योग (hospitality) के अंदरूनी स्थलों अथवा रात्री-क्लबों में नाचने की अनुमति नहीं होगी हालांकि, शादीयों में नाचने की अनुमति होगी जो कि केवल शादी वाली पार्टी के लिए ही होगी (इसमें 20 से अधिक लोग न हों);
- नाचने और व्यायामशालाओं (gym) की कक्षाएँ, प्रति कक्षा 20 लोगों तक सीमित हो जाएँगी (मास्क पहनना अनिवार्य होगा);
- सभी अंदरूनी और बाहरी परिस्थितियों में 'एक व्यक्ति प्रति चार वर्ग मीटर' का नियम पुनः शुरू किया जाएगा, जिसमें शादियाँ और दाह-संस्कार भी शामिल हैं;
- बाहर खुले में होने वाले, बैठ कर और टिकट आधारित कार्यक्रमों की क्षमता, बैठने के उपलब्ध स्थान के 50 प्रतिशत तक ही उपयोग की जाएगी;

हमने हमेशा इस बात के संकेत दिए हैं कि न्यू साउथ वेल्ज़ की जनता की सुरक्षित करने के लिए लगाए गए इन प्रतिबंधों को और आगे ले जाने में हम संकोच नहीं करेंगे।

हम इस बात को समझते हैं कि सभी के लिए यह एक कठिन समय है, परंतु हमें अभी यह कदम उठाने ही होंगे ताकि हम इस महामारी से एक कदम आगे रह सकें।

संपूर्ण न्यू साउथ वेल्ज़ के लोगों को चाहिए कि केवल अति-आवश्यक कारण हो, तभी 'ग्रेटर सिडनी' में प्रवेश करें।

मीडिया: शौन बैरी | प्रीमियर | 0416 243 252
जिऑरजीना केंटवैल्ल | डेप्युटी प्रीमियर | 0427 206 308
निकोलैट्ट कोरमेंडी | मंत्री हैज़ार्ड | 0429 064 897